न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–293/2025

प्रार्थीया:–

मडी उर्फ मड़कादेवी उर्फ मणका उर्फ मणकादेवी पत्नी मंगलाराम जाति माली निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री हीराचन्द सुथार अधिवक्ता प्रार्थीया

–:: आदेश ::–

दिनांक :–11.12.2025

प्रार्थीया द्वारा यह आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1399/492, 1400/494, 1339/492, 1403/494, 1404/492, 487, 497 रकबा क्रमशः 0.3581, 0.4290, 0.0324, 0.0486, 0.0243, 0.1376, 0.1214 ग्राम समदडी, खसरा संख्या 130 रकबा 5.5847 ग्राम समदडी स्टेशन तथा ग्राम महादेवनगर तहसील समदडी में खसरा संख्या 34 रकबा 18.4536 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है, उक्त भूमि में राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश प्रार्थीया का नाम ''मड़कादेवी, मणका, मणकादेवी पत्नी मंगलाराम '' दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थीया के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थीया का वास्तविक नाम ''मंडी पत्नी मंगलाराम'' दर्ज है विवादित भूमियों में प्रार्थीया का नाम अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थीया अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रार्थीया के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थीया ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन जनआधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र,आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति आदि प्रस्तुत किये ।

प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी।

प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीया का वास्तविक नाम ''मंडी पत्नी मंगलाराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों [illegible] विवादित भूमि खसरा संख्या 1399/492, 1400/494, 1339/492, 1403/494, 1404/492, 487, 497 रकबा क्रमशः 0.3581, 0.4290, 0.0324, 0.0486, 0.0243, 0.1376, 0.1214 ग्राम समदडी, खसरा संख्या 130 रकबा 5.5847 ग्राम समदडी स्टेशन तथा ग्राम महादेवनगर तहसील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.09 17:43:30 IST
Reason: SelfAttested

समदडी के खसरा संख्या 34 रकबा 18.4536 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम '' ''मड़कादेवी, मणका, मणकादेवी पत्नी मंगलाराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी, प्रार्थीया के दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थीया अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीया के आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम ''मंडी पत्नी मंगलाराम'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थीया का नाम ''मड़कादेवी, मणका, मणकादेवी पत्नी मंगलाराम''दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थीया का वास्तविक नाम ''मंडी पत्नी मंगलाराम'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया खसरा संख्या 1399/492, 1400/494, 1339/492, 1403/494, 1404/492, 487, 493 रकबा क्रमशः 0.3581, 0.4290, 0.0324, 0.0486, 0.0243, 0.1376, 0.1214 ग्राम समदडी , खसरा संख्या 130 रकबा 5.5847 ग्राम समदडी स्टेशन तथा ग्राम महादेवनगर तहसील समदडी के खसरा संख्या 34 रकबा 18.4536 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीया का नाम '' मड़कादेवी, मणका, मणकादेवी पत्नी मंगलाराम ''के स्थान पर ''मड़कादेवी, मणका, मणकादेवी उर्फ मंडी पत्नी मंगलाराम' ' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदड़ी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.09 17:43:30 IST
Reason: SelfAttested